

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742390, ई-मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ख) (R-744/81) / अलेसे-II

दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)/अलेसे-II 10817-10887 दिनांक 05.01.2015 आदेश संख्या 132/2014-2015 द्वारा क्रम संख्या 05 पर अंकित श्री रामस्वरूप जाटव (लिंग नम्बर 1548) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2015 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि श्री जाटव के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

( भास्कर शर्मा )  
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ख) (R-744/81) / अलेसे-II 19257-262 दिनांक :- 21.7.15

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष/ उपनिदेशक कृषि विभाग दौसा।
3. कोषाधिकारी दौसा।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री रामस्वरूप जाटव सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II उपनिदेशक कृषि विभाग दौसा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

(के.एम.मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)